कार्यवृत्त

शुक्रवार, 03 फाल्गुन, शक संवत्, 1940

(दिनांक : 22 फरवरी, 2019)

खण्ड–53

अंक–8

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही मा0 नेता प्रतिपक्ष तथा विपक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा नियम–310 के अन्तर्गत दी गई एक निजी समाचार द्वारा किये गये कथित स्टिंग ऑपरेशन सम्बन्धी सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग करते हुए 'वेल' में आ गये।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल होने दें। वे नियम–310 की उक्त सूचना को नियम–58 पर ग्राह्यता में सुन लेंगे। इस पर नेता प्रतिपक्ष व विपक्ष के सभी मा0 सदस्यों ने अपना–अपना स्थान ग्रहण किया।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज की कार्यसूची के सभी प्रश्न समय से उत्तरित हुए। यह लगभग 10 वाँ अवसर है जब कार्यसूची में प्रविष्ट सभी प्रश्न प्रभावी और सकारात्मक रूप से पूछे गये और उत्तर दिये गये। उत्तराखण्ड की सम्मानित सदन की यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इसके लिये दोनो पक्षों, पक्ष और विपक्ष, मा0 नेता प्रतिपक्ष तथा मा0 मंत्रियों का धन्यवाद प्रकट करता हूँ और साधूवाद देता हूँ। आशा है कि भविष्य में भी आपका सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। और महान संसदीय परम्पराओं के निर्वहन के रूप में हमारा यह सम्मानित सदन ध्वजवाहक बनेगा।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 27 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि आज सत्र का आखिरी दिन है। इसलिये नियम–300 की सभी सूचनाओं को ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा सभी सूचनाएं ध्यानाकर्षण के लिये स्वीकार की गयी।

1. श्री धन सिंह नेगी	विधान सभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत पुरानी टिहरी के विस्थापितों को नई टिहरी शहर में दो अलग–अलग दरों में जमीन का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।
2. श्री प्रीतम सिंह पंवार	प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा आचार्यों को शिक्षामित्र में समायोजन न करने से उत्पन्न स्थिति क़े के सम्बन्ध में।
3. श्री राम सिंह कैड़ा	विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत रा0 इ0 कालेजों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।

4. श्रीमती ममता राकेश	देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों को उचित सम्मान दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
5. श्री प्रीतम सिंह	विधान सभा क्षेत्र चकराता में स्थित हनोल मंदिर को पांचवे धाम के रूप में मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में।
6. श्री करन माहरा	प्रदेश में कुपोषण की चिंताजनक स्थिति होने के संबंध में।
7. श्री खजान दास	विधान सभा क्षेत्र राजपुर के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल लाईनो में बह रहे गन्दे पानी की सप्लाई को ठीक कर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।
8. श्री देशराज कर्णवाल	प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन योजना के अन्तर्गत होम्योपैथिक बहुउद्देश्यीय कार्मिकों एवं फार्मासिस्टों कार्मिकों को मानदेय वृद्धि न मिलने पर सरकार का ध्यानाकर्षण किये जाने के सम्बन्ध में।
9. श्री उमेश शर्मा (काऊ)	सिंचाई खण्ड देहरादून में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता पर कार्यवाही हेतु सरकार का ध्यानाकर्षण किये जाने के सम्बन्ध में।
10. श्री गोपाल सिंह रावत	राज्य में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत संचालित आयुष विंग में आर्युवेद एवं यूनानी पद्धति की सेवाओं के अन्तर्गत पूर्व में स्थापित 183 आयुष विंग में चिकित्सकों/फार्मासिस्टों को न रखे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
11. श्री बलवन्त सिंह भौंर्याल	प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत विधान सभा क्षेत्र कपकोट अन्तर्गत कपकोट–मुनार–सूपी डामरीकरण के कार्य में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में।
12. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी	प्रदेश में वर्ष 2014 में वित्तीय अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में परिचारकों व स्वीपरों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।
13. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	जिला अल्मोड़ा के 33 के0 वी0 ताड़ीखेत–भिक्यासैंण विद्युत लाइन के बार–बार क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्रीय जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

14. श्री महेश सिंह नेगी	विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के वि0 ख0 चौखुटिया में ग्रामीणों द्वारा पर्यटन विभाग को दान की गई भूमि पर पर्यटक आवास का निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।
15. श्री महेन्द्र भट्ट	जनपद चमोली के लामबगड़ स्लाइड जोन पर हो रहे कार्यों पर सरकार का ध्यानाकर्षण किये जाने के सम्बन्ध में।
16. कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''	जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत रा0 कन्या महाविद्यालय दल्लावाला(खानपुर) में भवन निर्माण एवं अवस्थापना विकास हेतु अविलम्ब धनराशि जारी करने के संबंध में।
17. श्री पूरन सिंह फर्त्याल	विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट अन्तर्गत नगर पंचायत लोहाघाट में टैक्सी स्टैण्ड घोटाले में जांच के बाद भी दोषियों पर कार्यवाही न होने से क्षेत्रीय जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।
18. श्री चन्दन राम दास	प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों, सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में राष्ट्रीय योजना के सात दिवसीय शिविर के सम्बन्ध में।
19. श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी	जनपद चम्पावत के टनकपुर में स्थित बस अड्डे का आधुनिकीकरण तथा मल्टी स्टोरी पॉर्किंग के निर्माण के सम्बन्ध में।
20. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम सहसपुर में स्थित सी0 एच0 सी0 का उच्चीकरण न होने से क्षेत्रीय जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।
21. श्री पुष्कर सिंह धामी	विधान सभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत, खटीमा शहर से निकलने वाले खकरा नाला, ऐठा नाला तथा मुकरान नाला इन तीनों नालों की पिचिंग, सफाई एवं शुद्धिकरण के सम्बन्ध में।
22. श्री बिशन सिंह चुफाल	जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घषाड़ के जीर्ण–शीर्ण भवन के स्थान पर नये भवन का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

23. महन्त दलीप रावत	प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अर्हता पूर्ण कर चुके औपबन्धिक सहायक अध्यापकों को नियमित किये जाने के सम्बनध में।
24. श्री दीवान सिंह बिष्ट	विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत 26 गाँवों में दाखिल–खारिज व व्यवसायिक कार्यों तथा भू0–उपयोग परिवर्तन पर लगी रोक हटाने के सम्बन्ध में।
25. श्री गणेश जोशी	विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत सालावाला में सीवर पम्पिंग प्लांट को प्रारम्भ न किये जाने से क्षेत्रीय जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।
26. श्री नवीन चन्द्र दुम्का	प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत दाई माँ का वेतन बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।
27. श्री राजेश शुक्ला	विधान सभा क्षेत्र किच्छा के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शान्तिपुरी एवं नारायणपुर में एक भी चिकित्सक न होने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

12 बजकर 22 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

संसदीय कार्य मंत्री ने "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151(2) के अधीन ''उत्तराखण्ड में 2013 की आपदा के उपरान्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या–2 वर्ष 2018) को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2017–18 के विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे (खण्ड–I एवं खण्ड–II) को सदन के पटल पर रखा।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, मा0 सदस्य ने उत्तराखण्ड की चतुर्थ विधान सभा की लोक लेखा समिति (वर्ष 2017–18) का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

सभापति, सूचना प्रौद्योगिकी समिति ने उत्तराखण्ड की चतुर्थ विधान सभा की सूचना प्रौद्योगिकी समिति (वर्ष 2017–18) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

सभापति ने जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा क्षेत्र में जहरीली शराब पीने के कारण हुई मृत्यु तथा आनुषंगिक विषयों के संबंध में गठित समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम भलस्वागाज में अम्बेडकर पार्क के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में", श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह ग्राम भलस्वागाज पो0–खास, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम हरचन्दपुर माजरा में रविदास मन्दिर के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में'', श्री बिजेन्द्र पुत्र श्री मौहर सिंह, ग्राम–हरचन्दपुर माजरा, पो0–ईकबालपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम बेहडेकी सेदाबाद में राजकीय कन्या इण्टर कालेज में जूनियर कक्षाओं एवं हाईस्कूल कक्षाओं को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में'', श्री साधूराम पुत्र श्री हरद्वारी, ग्राम– बेहडेकी सेदाबाद, पो0–ईकबालपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

नेता प्रतिपक्ष तथा मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह कहा कि जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा क्षेत्र में जहरीली शराब पीने के कारण हुई मृत्यु तथा आनुषंगिक विषयों के संबंध में गठित समिति की रिपोर्ट विपक्ष के सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराई गई है, और न ही इस समिति के गठन की जानकारी उन्हें दी गई है। इस पर श्री उपाध्यक्ष ने रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराये जाने को कहा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा इस सम्बन्ध में कार्यान्वियन आख्या (एक्शन टेकन रिपोर्ट) बाद में प्रस्तुत की जायेगी तथा इस समिति का गठन मा0 अध्यक्ष द्वारा सदन की अनुज्ञा से किया है। इस सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष जी के कक्ष में जाकर वार्ता की जा सकती है। श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि इस समिति के गठन की घोषणा 13 फरवरी, 2019 को सदन में ही की गई थी।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह, श्रीमती ममता राकेश, श्री आदेश सिंह चौहान तथा श्री हरीश सिंह की कुल 04 सूचना प्राप्त हुई हैं। वे सभी सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहे हैं।

दिनांक 16 जनवरी, 2019 को मोती सिंह पुत्र श्री तारा सिंह निवासी ग्राम झिटाड़, तहसील त्यूनी के मृत शरीर खोजने में सफलता न मिलने के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह तथा नेता प्रतिपक्ष ने विचार व्यक्त किये।

संसदीय कार्य मंत्री के भाषण के मध्य 12 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।

संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर के अन्तर्गत तहसील भवन का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्रीमती ममता राकेश ने विचार व्यक्त किये।

समाज कल्याण मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश में नन्दा गौरा देवी कन्याधन योजना के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्री आदेश सिंह चौहान तथा श्रीमती ममता राकेश ने विचार व्यक्त किये।

समाज कल्याण मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विभिन्न स्वीकृत सड़कों के निर्माण न होने के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्री हरीश सिंह तथा नेता प्रतिपक्ष ने विचार व्यक्त किये।

संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

मा0 मुख्यमंत्री का एक निजी समाचार चैनल द्वारा नियम–310 की नियम–58 में परिवर्तित सूचना स्टिंग ऑपरेशन की निष्पक्ष जाँच के सम्बन्ध में थी पर मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह ने विचार व्यक्त किये।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि विषय जारी रहेगी।

श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 01 बजकर 36 मिनट पर भोजनावकाश के लिए 03:00 बजे तक के लिए स्थगित की।

सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

नियम–310 की नियम–58 में परिवर्तित सूचना पर नेता प्रतिपक्ष तथा मा0 सदस्य, श्री हरीश सिंह, श्री गोबिन्द सिंह कुन्जवाल, हाजी फुरकान अहमद, श्री मनोज रावत, श्री राजकुमार, श्री करन माहरा ने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय।

04 बजकर 15 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह तथा नेता प्रतिपक्ष ने विचार व्यक्त किये।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–13, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2019 को पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

आबकारी मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह तथा नेता प्रतिपक्ष ने विचार व्यक्त किये।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–20, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

आबकारी मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

वित्तीय वर्ष 2019–2020 के आय–व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदानः–

उद्यान मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 3245417 हजार (रूपये तीन सौ चौबीस करोड़ चौवन लाख सत्रह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह तथा विपक्ष के सभी मा0 सदस्यों ने खड़े होकर व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि उन्हें आज ही उद्यान विभाग का बजट पेन ड्राइव में उपलब्ध कराया गया है जिसके कारण इसका तुरन्त अध्ययन कर पाना सम्भव नहीं है। यदि दो दिन पूर्व पैन ड्राईव उपलब्ध कराई गयी होती तो वे इस पर चर्चा कर सकते थे, परन्तु अभी ये पैन ड्राईव उपलब्ध कराई गयी है तो चर्चा कैसे होगी। विपक्ष के मा0 सदस्य उद्यान विभाग का बजट हॉर्ड कॉपी में उपलब्ध कराये जाने की मांग करने लगे जिससे सदन में व्यवधान होने लगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि बिना बहस के ही बजट पास कराना है तो वे इसका विरोध करते हैं और सदन का परित्याग करते हैं। तदुपरान्त नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सभी सदस्यों ने सदन का बर्हिगमन किया।

श्री उपाध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–29 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–29 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

शिक्षा मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 85389833 हजार (रूपये आठ हजार पांच सौ अड़तीस करोड़ अठ्ठानवे लाख तैंतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री उपाध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–11 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–11 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

वन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 10294383 हजार (रूपये एक हजार उन्तीस करोड़ तैतालीस लाख तिरासी हजार मात्र** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री उपाध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–27 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–27 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–01 विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 791601 हजार (रूपये उन्यासी करोड़ सोलह लाख एक हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या–01 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–03 मंत्रि–परिषद के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 804220 हजार (रूपये अस्सी करोड़ बयालीस लाख बीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या–03 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 2652511 हजार (रूपये दो सौ पैंसठ करोड़ पच्चीस लाख ग्यारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या–04 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

04 बजकर 50 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 15160435 हजार (रूपये एक हजार पांच सौ सोलह करोड़ चार लाख पैंतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–06 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–06 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–09 लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 181924 हजार (रूपये अठारह करोड़ उन्नीस लाख चौबीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या–09 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 19670275 हजार (रूपये एक हजार नौ सौ सड़सठ करोड़ दो लाख पचहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–10 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–10 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 24277198 हजार (रूपये दो हजार चार सौ सत्ताईस करोड़ ईकहत्तर लाख अठ्ठानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–12 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–12 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–14 सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 713662 हजार (रूपये ईकहत्तर करोड़ छत्तीस लाख बासठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–14 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–14 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

पशुपालन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 18376768 हजार (रूपये एक हजार आठ सौ सैंतीस करोड़ सड़सठ लाख अड़सठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–15 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–15 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 22859111 हजार (रूपये दो हजार दो सौ पचासी करोड़ इक्यानवे लाख ग्यारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–19 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–19 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–21 ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 3370268 हजार (रूपये तीन सौ सैंतीस करोड़ दो लाख अड़सठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–21 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–21 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 18883811 हजार (रूपये एक हजार आठ सौ अठ्ठासी करोड़ अड़तीस लाख ग्यारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–22 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–22 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 2877212 हजार (रूपये दो सौ सत्तासी करोड़ बहत्तर लाख बारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–23 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–23 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–25 खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 2528225 हजार (रूपये दो सौ बावन करोड़ बयासी लाख पच्चीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–25 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–25 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रतियां वितरित कर दी जांय।

उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2019 की प्रतियां वितरित की गई।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2019 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैक लॉग के पदों पर विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र नियुक्तियॉ की जाय''।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड जाखणीधार का भूगोल टिहरी बांध की झील बनने से अव्यवहारिक हुआ है जिसे पुनर्गठन कर मदन नेगी अथवा रजाखेत के नाम से पृथक नया विकास खण्ड बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि काजी मौ0 निजामुद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प चर्चा जारी रहेगीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त हुए समस्त वित्तीय घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश से कराई जाय''।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत स्थित बिन्दुखत्ता तहसील लालकुऑ, जिला नैनीताल, एवं अन्य खत्तों व ऐसे अन्य गांवों जो वन भूमि पर बसे हैं, में निवास कर रहे नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसे सम्बंधित समस्त क्षेत्रों को राजस्व गांव बनाया जाय''।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाय''।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गाय को भारतीय कृषि, आर्थिकी तथा आध्यात्म का आधार होने के कारण राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकृति दी जाय एवं इस राष्ट्रीय पशु के संरक्षण एवं विकास हेतु राष्ट्रीय गाय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में से प्रतिवर्ष रू0 01 करोड़ मन्दिरों तथा पंचायत स्थलों के विकास, जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण, पुनर्निमाण के लिए स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कारगर नीति बनायी जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी एवं चकराता के मूल निवासी अछूत कोल्टा जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है, कि सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ लोग विभिन्न कारणों से कृषि कार्य नहीं कर रहे हैं, के सम्पूर्ण भाग पर सरकारी अथवा सहकारिता के माध्यम से कृषि, बागवानी, सगन्ध पुष्प अथवा अन्य कोई रोजगारपरक खेती करायी जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मत्स्य विकास प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर 2016 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लगभग 60 पदों पर बिना आरक्षण के माध्यम से आउट सोर्सिंग/उपनल से तथा 14 पदों पर संविदा के द्वारा बिना विज्ञप्ति एवं आरक्षण लागू न करते हुए भर्ती की गई। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए जांच की जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में वृद्धावस्था, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन धारकों की पेंशन में दोगुनी वृद्धि की जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि उत्तराखण्ड राज्य में ई–नेटवर्किंग में मोबाईल कार्य हेतु कार्यरत सभी कम्पनियां अपने–अपने उपभोक्ताओं की किसी भी तरह की जानकारियां किसी अन्य कम्पनियों को उपलब्ध न कराये।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों में प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने में बाहरी प्रदेशों के बेरोजगार युवकों की अपेक्षा से अधिक अवसर प्रदान करने पर विचार किया जाये।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में एक कार्य एक टेण्डर के स्थान पर छोटी–छोटी योजनाओं के टेण्डर पर कार्य कराये जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि बी0डी0 इन्टर कालेज भगवानपुर, हरिद्वार में स्टेडियम निर्माण हेतु जनपद हरिद्वार में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उक्त स्थल मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप स्टेडियम निर्माण कराने पर विचार किया जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है कि राज्य में वाहन दुर्घटनाओं तथा दैवीय आपदा के अन्तर्गत मारे गये व्यक्तियों को एक समान प्रतिकर/अहेतुक सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान किया जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश में काफी जन हानि एवं आपदा जैसे हालात पैदा हो गये हैं, जिस हेतु प्रदेश सरकार राज्य को दैवीय आपदा घोषित करते हुए केन्द्र सरकार को इस आशय का प्रस्ताव भेजे कि वे केन्द्र सरकार द्वारा इसकी भरपाई करने हेतु राज्य को विशेष अनुदान राशि मुहैया करायी जाय।'

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है कि विधान सभा भवन भराड़ीसैंण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर ''डा0 भीमराव अम्बेडकर विधान सभा भवन कर दिया जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के समस्त अशासकीय विद्यालयों में 1992 से अब तक एस0सी0/एस0टी0/ओ0 बी0सी0 के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति की जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि ट्रामा सेन्टर कण्डीसौड़ (छाम) विकास खण्ड थौलधार जनपद टिहरी गढ़वाल को शीघ्र संचालित कराया जाय''।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी :–

''प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी :–

''प्रदेश की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए इस सदन में चर्चा कराई जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के कार्मिक विभाग के अन्तर्गत ''इरशाद हुसैन'' आयोग का गठन किया गया था जिसकी रिर्पोट सदन के पटल पर अभी तक नहीं रखी गई है। सदन के पटल पर यह रिपोर्ट अविलम्ब रखी जाय।''

श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को सदन में की गयी घोषणा के अनुक्रम में दिनांक 24 मार्च, 2018 को विचाराधीन निम्नलिखित विषय पर चर्चा जारी रहेगी :–

"सतत विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0)"

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इन सभी सूचनाओं को सरकार के ध्यानाकर्षण के लिये स्वीकार कर रहे हैं।

ऊर्जा निगम में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को समान कार्य हेतु समान वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्रीमती ममता राकेश,

क्लीनिकल इस्टैब्लिशमैन्ट एक्ट, 2010 के अन्तर्गत राज्य के 30 बैड से कम वाले अस्पतालों को एक्ट के दायरे से बाहर रखने के सम्बन्ध मे मा0 सदस्य देशराज कर्णवाल,

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन में लगभग 1200 तकनीशियनों के पद रिक्त होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री प्रीतम सिंह पंवार,

पर्यटन ग्राम घोषित होने के बाद भी उन ग्रामों की स्वीकृत डी0पी0आर0 पर कार्य प्रारम्भ न होने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री धन सिंह नेगी,

विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लाक की भोलापुर–कुन्डल व भद्रकोट सिंचाई नहर के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री राम सिंह कैड़ा,

सिंचाई खण्ड देहरादून में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने कार्यकाल में नाबार्ड एवं राज्य सैक्टर इत्यादि मद के अन्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत प्राक्कलनों पर नियम विरूद्ध एक मुश्त धनराशि पर कार्य बिना प्रचार–प्रसार के किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री उमेश शर्मा काऊ,

अल्मोड़ा जिले के भिक्यासैंण नामक स्थान पर लाखों रूपयों से स्वीकृत राफ्टिंग सेन्टर से वर्षों बाद भी राफ्टिंग योजना संचालित न किये जाने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना,

विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वाराहाट एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौखुटिया में अल्ट्रासाउण्ड मशीन उपलब्ध होने के बाबजूद भी मशीनों का संचालन न होने से क्षेत्र में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री महेश सिंह नेगी,

जनपद चमोली के अन्तर्गत जोशीमठ के औली लगा सलूड़ डुग्रा के काश्तकारों को पर्यटन विभाग से अनुबन्ध के बाद भर 10–10 मुट्ठी भूमि आवंटन न होने से जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री महेन्द्र भट्ट,

जनपद चमोली के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में रा0इ0का0 कांसुवा तथा भराड़ीसैंण के भवन निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी,

जनपद चम्पावत के टनकपुर में ट्रामा सैण्टर प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्घ में मा0 सदस्य, श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी,

जनपद चम्पावत में लो0नि0वि0 के अधिकारियों द्वारा सन् 2013 से 2017 के मध्य एकल टैण्डर कर एक ही फर्म को ठेका देने व सरकारी धन का दुरूपयोग करने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री पूरन सिंह फर्त्याल,

बागेश्वर के नगर पालिका क्षेत्र के मेहनबूंगा में बिजली लाईन को शिफ्ट करने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री चन्दन राम दास,

विधान सभा क्षेत्र रामनगर में सिंचाई विभाग की क्षतिग्रस्त नहरें व गूलों के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री दीवान सिंह बिष्ट,

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 डुण्डा के ग्राम पटारा एवं वि0ख0 चिल्यालीसौड़ के ग्राम जोगथ तल्ला अमृत ग्राम योजना में सम्मिलित होने के बाबजूद भी कोई कार्यवाही गतिमान न होने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री केदार सिंह रावत,

सेवारत सैनिकों/ सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए जनपद स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा समस्याओं को प्रभावी रूप से अनुश्रवण न किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री गणेश जोशी,

तथा

जनपद ऊधम सिंह नगर के ग्राम नजीयावाद के धौराडाम में वर्षों से बसे हुए निवासियों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री राजेश शुक्ला

की सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया।

जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र बी0एच0ई0एल0 रानीपुर के अन्तर्गत नगर पालिका शिवालिक नगर व ग्राम सभा रावली महदूद की सीमा पर स्थित नाले से अतिक्रमण हटाकर उक्त नाले की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में, श्री आदेश चौहान, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2019 को दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने केवल वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र रामनगर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय व जूनियर हाई स्कूल के क्षतिग्रस्त भवन का पुनर्निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, श्री दीवान सिंह बिष्ट, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2019 को दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

''राष्ट्रगान'' के उपरान्त सदन का उपवेशन 05 बजकर 05 मिनट अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुआ।

जगदीश चन्द्र
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
प्रेमचन्द अग्रवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।